कार्यालय प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय अर्जुंदा

जिला – बालोद छ.ग.

website : www.gcarjunda.com NAAC grade B E-mail: govtcollege.arjunda1988@gmail.com

PREVENTION AND PROHIBITION OF RAGGING.

Action to be taken against student for indulging and abetting in Ragging in institutions: -

1. The punishment to be meted out to the persons indulged in ragging has to be exemplary and justifiably harsh to act as a deterrent against recurrence of such incidents. The student who is found to be indulged in ragging should be debarred from taking admission in institution.
2. Every single incident of ragging first information Report (FIR) must be filed without exception by the institutional authorities with the local police authorities.
3. Depending upon the nature and gravity of the offence as established by the anti-Ragging Committee of the institution, the possible punishments for those found guilty of ragging at the institution level shall be any one or any Combination of the following.
    - Cancellation of admission
    - Suspension from attending classes
    - With holding /withdrawing scholarship/fellowship and other benefits
    - Debarring from appearing in any test /examination or other evaluation process.
    - Withholding results
    - Debarring from representing the institution in any regional, national or international meet, tournament, youth festival, etc.

- Expulsion from the institution and consequent debarring from admission to any other institution.
- Collective punishment: when the persons committing or abetting the crime of ragging are not identified, the institution shall resort to collective punishment as a deterrent to ensure community pressure on the potential raggers.

4. The institutional authority shall intimate the incidents of ragging occurred in their premises along with actions taken to the council immediately after occurrence of such incident and inform the status of the case from time to time.
5. Courts should make an to ensure that cases involving ragging are taken up on priority basis to send the correct message that ragging is not only to be discouraged but also to be dealt with sternness.

शासकीय महाविद्यालय अर्जुंदा जि. बालोद (छ.ग.)

Principal
प्र. प्राचार्य
शास. महाविद्यालय, अर्जुन्दा
जिला-बालोद (छ.ग.)

संलग्न – 1

छात्र/छात्रा का शपथ पत्र

मैं श्री/श्रीमती/कु. .....

(माता–पिता/अभिभावक का पूरा नाम) .....

(छात्र का पूरा नाम, प्रवेश पंजीयन/नामांकन संख्या सहित) .....

(संस्था का नाम) .....

में हो चुका है या हो गया है को उच्च शिक्षण संस्थानों में रैगिंग के अपराध को समाप्त करने के लिए यू. जी. सी. नियमावली 2009 प्राप्त की, उसको सावधानी पूर्वक पढ़ा और पूर्णतः समझा ।

मैंने विशेषतः नियमों की कंडिका – 3 का अध्ययन किया और रैगिंग किस प्रकार की होती है के प्रति सजग हुआ ।

मैंने कंडिका 7 और 0.1 के नियमों का भी विशेष अध्ययन किया और मैं प्रशासकीय कार्यवाही से अवगत हूं जिसके अंतर्गत यदि मैं रैगिंग को बढावा देता हूं/देती हूं अथवा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग करता / करती हूं या षडयंत्र करता / करती हूं तो मेरे विरूद्ध कार्यवाही हो सकती है ।

मैं सत्य निष्ठा से संकल्प लेता / लेती हूं कि –

(अ) मैं ऐसा कोई भी कार्य नहीं करूंगा / करूंगी जोकि कंडिका – 3 के नियम के अंतर्गत रैगिंग की श्रेणी में आता हो

(ब) मैं ऐसे किसी भी कार्य में प्रतिभागी नहीं बनूंगा / बनूंगी जो कंडिका – 3 रैगिंग के अंतर्गत अपराध को बढाया देता हो तो (लोकप्रिय) फैलाता हो ।

मैं सत्य निष्ठा से वचन देता / देती हूं कि यदि मैं रैगिंग में लिप्त पाया जाता / जाती हूं तो मेरे विरूद्ध उक्त नियमों की कंडिका 9.1 के अंतर्गत बिना किसी पूर्व न्यायिक कार्यवाही के अपराधिक कार्यवाही की जा सकती है ।

मैं घोषणा करता / करती हूं कि देश की किसी भी संस्था से ना तो निकाला गया और न ही प्रवेश के लिए वर्जित किया गया न ही रैगिंग जैसे अपराध को बढावा देने सहायता करने या षडयंत्र में अपराधी पाया गया/गई हूं । मैं अच्छी तरह जानता/जानती हूं कि यदि मेरी ये घोषणा असत्य पाई जाती है तो मेरा प्रवेश निरस्त किया जा सकता है ।

घोषणा की दिनांक : दिनांक ..... माह ..... वर्ष ..... ।

शपथकर्ता के हस्ताक्षर

.....

सत्यापन

मैं सत्यापित करता/करती हूं कि उक्त शपथ पत्र में उल्लेखित सभी तथ्य मेरी जानकारी में सत्य है और कोई भी तथ्य असत्य नहीं है तथा कुछ भी छिपाया नहीं गया है ।

सत्यापन का (स्थान) ..... (दिन) ..... (माह) ..... (वर्ष) .....

शपथकर्ता के हस्ताक्षर

उपस्थिति में शपथ–पत्र में उल्लिखित नियमों का अध्ययन कर (दिन) ..... माह .....वर्ष .....
को हस्ताक्षर आत्कि स्वीकृति दी गई ।

शपथ आयुक्त

शासकीय महाविद्यालय अर्जुन्दा जि. बालोद (छ.ग.)

प्र. प्राचार्य
शास. महाविद्यालय, अर्जुन्दा
जिला–बालोद (छ.ग.)

संलग्न – 2

माता-पिता / अभिभावक का शपथ पत्र

मैं श्री/श्रीमती/कु. ....

(माता-पिता/अभिभावक का पूरा नाम) ....

(छात्र का पूरा नाम, प्रवेश पंजीयन/नामांकन संख्या सहित) ....

(संस्था का नाम) ....

में प्रवेश हो चुका है, पुष्टि करता हूं कि मुझे रैगिंग अपराध को समाप्त करने हेतु यू.जी.सी. की नियमावली 2009 प्राप्त हुई जिसे मैंने सावधानीपूर्वक पढा और पूर्णतः समझा।

2. मैंने विशेषतः नियमों की कंडिका–3 का अध्ययन किया और रैगिंग क्या है से अवगत हुआ। मैंने उक्त नियमों की कंडिका 7 और 9.1 का विशेष अध्ययन किया और मैं पूर्ण रूप से अवगत हूं कि यदि मेरा पुत्र/पुत्री रैगिंग को बढावा देने में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग करने में अपराधी पाया जाता है तो उसके विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही की जा सकती है।

4. मैं सत्य निष्ठा से संकल्प लेता हूं कि –

   (अ) मेरा पुत्र/पुत्री किसी भी प्रकार के रैगिंग अपराध में सम्मिलित नहीं होगा जो कि कंडिका –3 के अंतर्गत आता है।

   (ब) मेरा पुत्र/पुत्री किसी भी ऐसे कार्य में प्रतिभागी नहीं बनेगा तो कंडिका –3 के अंतर्गत रैगिंग अपराध की श्रेणी में आता हो।

5. मैं सत्य निष्ठा से बचन देता हूं कि यदि मेरा पुत्र/पुत्री रैगिंग अपराध में लिप्त पाया जाता है तो उसके विरुद्ध उक्त नियमों की कंडिका 9.1 के अंतर्गत बिना किसी पूर्व न्यायिक कार्यवाही के सजा हो सकती है।

6. मैं घोषणा करता हूं कि मेरा पुत्र/पुत्री रैगिंग के अपराध के कारण देश की किसी भी संस्था से न तो निष्कासित किया गया न ही प्रवेश से वंचित किया गया।

घोषणा की दिनांक .... माह .... वर्ष .... ।

प्र. प्राचार्य
शास. महाविद्यालय, ...
जिला–बालोद (छ.ग.)

शपथकर्ता के हस्ताक्षर

नाम ....

पता ....

फोन/मोबाईल नंबर ....

वचन पत्र

(महाविद्यालय विवरण पत्रिका की कंडिका 17.3 के संदर्भ में)

मैं .....

पिता/माता..... कक्षा .....

घोषणा करता/करती हूं कि मुझे ज्ञात है कि रैगिंग न केवल अपराध है बल्कि मानव अधिकार का हनन भी है। मैं इस प्रकार के किसी कृत्य में शामिल नहीं रहूंगा/रहूंगी। मुझे रैगिंग के संदर्भ में दी जाने वाली सजा की जानकारी है और यदि मैं रैगिंग की घटना में शामिल पाया/पायी जाता/जाती हूं तो मैं दंड का भी भागी रहूंगा/रहूंगी।

दिनांक :

हस्ताक्षर

छात्र/छात्रा .....

मैं घोषणा करता/करती हूं कि मेरा पाल्य रैगिंग के किसी कृत्य में शामिल नहीं होगा/होगी। मुझे रैगिंग में दी जाने वाली सजाएं ज्ञात है यदि मेरा पाल्य रैगिंग के किसी भी प्रकरण में लिप्त पाया/पायी जाता/जाती है, तो उसको दी जाने वाली सजा से सहमत रहूंगा/रहूंगी।

पिता/माता/अभिभावक के हस्ताक्षर

टीप – यदि अभिभावक के हस्ताक्षर सही नहीं पाये गये तो छात्र के विरूद्ध अनुशांसनात्मक कार्यवाही होगी जिसके लिए छात्र स्वयं जिम्मेदार होगा/होगी।

शासकीय महाविद्यालय अर्जुन्दा जि. बालोद (छ.ग.)

प्र. प्राचार्य
शास. महाविद्यालय, अर्जुन्दा
जिला-बालोद (छ.ग.)

17.1 आचरण संहिता - छात्रों के पालनार्थ :-

1. छात्रों को सरल निर्व्यसनी और मितव्ययी जीवन ही बिताना चाहिए अतएव विशेषतः कालेज की सीमाओं में किसी प्रकार के मादक पदार्थ का सेवन न करें । छात्रों को वेशभूषा की तड़क-भड़क या विलासितापूर्ण श्रृंगार शोभा नहीं देता, इसका छात्र-छात्राओं को ध्यान रखना होगा ।

2. छात्रों की यदि कोई कठिनाई हो तो उसे प्राध्यापक अथवा प्राचार्य के समक्ष निर्धारित प्रणाली से शांतिपूर्ण आवेदन के रूप में प्रस्तुत करना उचित होगा ।

3. आन्दोलन, हिंसा अथवा आतंक द्वारा किसी भी कठिनाई को हल करने का मार्ग वे नहीं अपनायेंगे ।

4. छात्र सक्रिय दलगत राजनीति में भाग नहीं लेगें और अपनी समस्याओं के विषय में राजनीतिक दलों, कार्यकर्ताओं अथवा समाचार पत्रों आदि के माध्यम से न तो हस्तक्षेप करायेंगें और न इनसे कोई सहायता मागेंगे ।

5. परीक्षाओं में या उसके संबंध में किसी प्रकार से अनुचित लाभ लेने या अनुचित साधनों का प्रयोग करने का प्रयत्न गंभीर दुराचार माना जावेगा ।

6. महाविद्यालय की प्रतिष्ठा और कीर्ति कैसे बढ़े और उसमें किसी प्रकार का कलंक न लगे, ऐसा व्यवहार छात्रों को अनुशासन और संयम में रहकर करना चाहिए।

7. आचरण के साधारण नियमों के भंग होने पर छात्रों को चाहिए कि वे दोषी व्यक्ति को उचित दण्ड देने में सहयोग दें, जिससे महाविद्यालय का प्राथमिक कार्य (अध्ययन एवं अध्यापन) शांति और मनोयोग के साथ चल सके ।

8. छात्रों को यह सावधानी रखनी होगी कि उन पर किसी अनैतिकता मूलक या अन्य गंभीर अपराध का अभियोग न लगे । यदि ऐसा हुआ तो तत्काल उनका नाम महाविद्यालय से निरस्त कर दिया जावेगा और वे महाविद्यालय में किसी भी छात्र प्रतिनिधि के पद पर बने नहीं रह सकेंगे ।

17.2 अनुशासन संबंधी विश्वविद्यालय अधिनियम :-

मध्यप्रदेश विश्व वि. अधिनियम 1973 के अधीन बनाए गये अध्यादेश क्रमांक 7 की धारा 13 के अनुसार महाविद्यालय के छात्र-छात्रा द्वारा महाविद्यालय में अथवा बाहर अनुशासन भंग किये जाने पर ऐसे छात्र/छात्रा के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए प्राचार्य सक्षम हैं । अनुशासन हीनता के लिए उक्त अध्यादेश में निम्नांकित दण्ड का प्रावधान हैं :-

(1) निलम्बन (2) निष्कासन (3) विश्वविद्यालयीन परीक्षा में सम्मिलित होने से रोकना (4) रेस्टिकेशन

17.3 रैगिंग एवं दण्ड :-

रैगिंग की त्रासदायी प्रताड़ना को स्थायी रूप से रोका जा सके इसलिए महामहिम राज्यपाल के द्वारा 1 सितम्बर 2001 को छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्थाओं में प्रताड़ना (रैगिंग) का प्रतिषेध अध्यादेश 2001 जारी किया गया है । इस अध्यादेश के द्वारा रैगिंग को संज्ञेय तथा गैर जमानती अपराध माना गया है । अध्यादेश में रैगिंग को निम्नानुसार परिभाषित किया गया हैं :

शासकीय महाविद्यालय अर्जुन्दा
जि. बालोद (छ.ग.)

प्र. प्राचार्य
शास. महाविद्यालय, अर्जुन्दा
जिला-बालोद (छ.ग.)

(क) रैगिंग से अभिप्रेत है किसी छात्र को मजाक पूर्ण व्यवहार से या अन्य प्रकार से ऐसा कृत्य करने के लिए उत्प्रेरित बाध्य या मजबूर करना, जिससे उसके मानवीय मानवीय मूल्य का हनन या उसके व्यक्तित्व का अपमान या उपहास अभिदर्शित हो, या उसे अभित्रास, सदोष परिरोध या क्षति, या उस पर अपराधिक बल के प्रयोग या सदोष अवरोध, सदोष परिरोध क्षति या अपराधिक बल प्रयोग कर अभिवास देते हुए किसी विधि पूर्ण कार्य से प्रविरत करता हो ।

रैगिंग का अपराध सिद्ध पाए जाने पर न्यायालय द्वारा दोषी छात्र-छात्रा को पाँच वर्ष के कारावास की सजा दी जा सकती है तथा उसे संस्था से निष्कासित किया जा सकेगा । ऐसे छात्र-छात्रा को किसी भी शिक्षण संस्था में तीन वर्ष की अवधि तक प्रवेश से वंचित भी किया जा सकेगा । इस अध्यादेश के अंतर्गत प्रताड़ना का प्रकरण अन्वेषण या विचरण लंबित होने पर शिक्षण संस्था के प्रधान के द्वारा अभियुक्त छात्र-छात्रा को निलंबित करने तथा शैक्षणिक संस्था परिसर तथा उसके छात्रावास में प्रवेश से वंचित करने का भी प्रावधान है। प्रत्येक विद्यार्थी को रैगिंग में भाग न लेने संबंधी एक वचन पत्र पर हस्ताक्षर करना होगा । इस वचन पत्र में छात्रों के अभिभावक के भी हस्ताक्षर होंगे ।

शासकीय महाविद्यालय अर्जुन्दा जि. बालोद (छ.ग.)

प्र. प्राचार्य
शास. महाविद्यालय, अर्जुन्दा
जिला-बालोद (छ.ग.)

painted on college wall.

रैगिंग क्या है ?

...म के अन्तर्गत - कोलाहलपूर्ण अनुचित व्यवहार करना, चिढ़ाना, भद्दे व अशिष्ट आचरण करना, उपद्रवी...
अनुशासनहीन क्रिया-कलापों में संलग्न होना, जिससे नए छात्र को गुस्सा, अनावश्यक परेशानी, शारीरिक...
मानसिक क्षति हो, या उसमें आशंका या भय बढ़ाने वाला हो या छात्रों से ऐसा कार्य करने के लिए कहना, जो छात्र/छात्रा...
सामान्यतया नहीं कर सकता/सकती और जिससे उसे शर्म या अपमान का अनुभव होता हो या उसके जीवन हेतु खतरा हो...

छत्तीसगढ़ राज्य की शैक्षणिक संस्थाओं में रैगिंग रोकथाम अधिनियम - 2001

किसी छात्र को मजाक में या अन्य किसी प्रकार से ऐसा करने के लिए कहना, प्रेरित करना या बाध्य करना, जो मानव-मर्यादा के खिला...
...ा जो व्यक्तित्व के विपरीत हो या जिससे वह हास्यपद हो जाये या डरा-धमाकाकर गलत ढंग से रोककर, गलत ढंग...
...के या उसे चोट पहुँचाकर या उस पर अनुचित दबाव डालकर या उसे इस प्रकार की धमकी, गलत अवरोध, चोट या अनुचित...
...भय दिखाकर वैधानिक कार्य करने से मना करना।

...गिंग का स्वरूप-

रैगिंग निम्नांकित रूपों (सूची केवल निर्देशात्मक है, संपूर्ण नहीं) में पायी जाती है।

- ...स्पष्ट आदेश
- सीनियर छात्रों को सर कहने के लिए
- सामूहिक कवायद करने के लिए
- सीनियरों के क्लास-नोट्स उतारने के लिए
- अनेक सौंपे गये कार्य के लिए
- सीनियरों के लिए अनुचित कार्य करने के लिए
- अश्लील प्रश्न पूछने या उनका उत्तर देने के लिए
- नए छात्रों को अपने सीधेपन के विपरीत आघात पहुँचाने हेतु अश्लील चित्रों को देखने के लिए
- शराब, उबलती हुए चाय आदि पीने के लिए बाध्य करना।
- ...कामुक संकेतार्थ वाले कार्य - अप्राकृतिक कार्य सहित करने के लिए बाध्य करना।
- ...कार्य करने के लिए बाध्य करना, जिससे शारीरिक क्षति, मानसिक पीड़ा या ...मृत्यु भी हो सकती है।
- ...करना, चुंबन लेना आदि

उपर्युक्त से विदित होता है कि प्रथम पांच को छोड़कर अधिकतर रैगिंग के विकृत रूपों से युक्त है।

रैगिंग में लिप्त होने पर दिये जाने वाले द...

1. प्रवेश निरस्त किया जाना।
2. कक्षा / छात्रावास से निष्कासित किया ...
3. छात्रवृत्ति या सुविधा रोकना।
4. परीक्षाओं से वंचित करना।
5. परीक्षा परिणाम रोकना।
6. राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय तथा युवा उत्सव भाग लेने ...
7. संस्था से रेस्टीकेट किया जाना।
8. आर्थिक दण्ड रु. 25000/- तक।

शासकीय महाविद्यालय अर्जुन्दा जि. बालोद (छ.ग.)

प्र. प्राचार्य
शास. महाविद्यालय, अर्जुन्दा
जिला-बालोद (छ.ग.